

कृष्णा जल विवाद

प्रलिमिस के लिये:

नदी जल विवाद से संबंधित संवेधानकि प्रावधान, कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, नल्लमाला पहाड़िया।

मेन्स के लिये:

कृष्णा नदी जल विवाद चुनौतियाँ और आगे का रास्ता, न्यायाधीशों का खंडन।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** के दो जजों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी जल के बैंटवारे के विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

- उन्होंने इसका कारण बताया कि पक्षपात का निशाना नहीं बनना चाहते क्योंकि विवाद उनके गृह राज्यों से संबंधित है।

न्यायाधीशों का बहिकार

- यह पीठासीन न्यायालय के अधिकारी या प्रशासनकि अधिकारी के हतियों के टकराव के कारण कानूनी कार्यवाही जैसी आधिकारिकि कार्रवाई में भाग लेने से अनुपस्थिति रहने से संबंधित है।
- जब हतियों का टकराव होता है तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि इसने मामले का नियन्त्रण करते समय पक्षपात किया है।
- पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिकि नियम नहीं हैं, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के कई नियमों में इस मुद्दे पर बात की गई है।
 - रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रति तिरकों को बल प्रदान करती है।
 - न्यायालय को अपने सामने मोजूद पक्ष के तरक्की को देखना चाहता है और तय करना चाहता है कि वह पक्षपाती है या नहीं।

प्रमुख बातें

परचियः

- वर्ष 2021 में आंध्र प्रदेश ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार द्वारा उसे "असंवेधानकि और अवैध" तरीके से पीने एवं सचिराई के लिये पानी के अपने वैध हसिसे से वंचति कर दिया गया।
- श्रीशैलम जलाशय का पानी, जो किसी नदी के बीच नदी के जल का मुख्य भंडारण है, संघर्ष का एक प्रमुख बाबू बन गया है।
 - आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना द्वारा बजिली उत्पादन हेतु श्रीशैलम जलाशय के पानी के उपयोग का वरिध किया।
 - श्रीशैलम जलाशय आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह नल्लमाला पहाड़ियों में स्थिति है।
- इसने आगे तरक्की की तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत गठित शीर्ष परिषद में लिये गए नियमों, इस अधिनियम के तहत गठित कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के नियमों और केंद्र के नियमों का पालन करने से इनकार कर रहा है।

पृष्ठभूमि:

- कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण:**
 - वर्ष 1969 में 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' के तहत 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' (KWDT) को स्थापित किया गया था और इसने वर्ष 1973 में अपनी रपिरेट प्रस्तुत की थी।
 - साथ ही यह भी नियंत्रित किया गया था कि 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' आदेश की समीक्षा या संशोधन किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायाधिकरण द्वारा 31 मई, 2000 के बाद किसी भी समय किया जा सकता है।

- दूसरा कृष्णा जल विवाद न्यायाधकिरण
 - वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधकिरण की स्थापना की गई जिसने वर्ष 2010 में अपनी अंतमि रपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2010 में दयि गए नियम में अधिकृत जल का 81 TMC महाराष्ट्र को, 177 TMC कर्नाटक को तथा 190 TMC आंध्र प्रदेश के लिये आवंटित किया गया था।
 - **KWDT की वर्ष 2010 की रपोर्ट के बाद:**
 - आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इसे चुनौती दी थी।
 - वर्ष 2013 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधकिरण ने 'आगे की रपोर्ट' जारी की, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने फरि से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
 - तेलंगाना का नियमान्वयन:
 - तेलंगाना के नियमान्वयन के बाद आंध्र प्रदेश ने कहा है कि तेलंगाना को KWDT में एक अलग पक्ष के रूप में शामिल किया जाए और कृष्णा जल के आवंटन को तीन के बजाय चार राज्यों के बीच फरि से विभाजित किया जाए।
 - यह आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 पर आधारित है।
 - इस खंड के प्रयोजनों हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमित दिनों को या उससे पहले ट्रिब्यूनल द्वारा पहले से किये गए प्रयोजना-विशिष्ट आवंटन संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होंगे।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
 - इसके तहत संसद कसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल उपयोग, विभाजित एवं नियंत्रण के संबंध में कसी भी विवाद या शक्तियां के न्यायान्वित नियम का प्रावधान कर सकती है।
 - संसद ने दो कानून, नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) अधिनियमित किये हैं।
 - नदी बोर्ड अधिनियम (River Boards Act) अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटीयों के नियमन एवं विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम (Inter-State Water Disputes Act) केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के नियम हेतु एक तदर्थ न्यायाधकिरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।
 - कसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कसी अन्य न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है। जिसे इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधकिरण को संदरभित किया जा सकता है।

कृष्णा नदी:

- स्रोत: इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- झरनेज़: यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 किमी), उत्तरी कर्नाटक (480 किमी) और शेष 1300 किमी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- सहायक नदियाँ: तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वर्ना, डिली, मुसी और दूधगंगा।



आगे की राह

- जल विवादों का समाधान या संतुलन तभी किया जा सकता है जब ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ एक स्थायी ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाए।
- कसी भी संवैधानिक सरकार का तात्कालिक लक्ष्य अनुच्छेद 262 में संशोधन और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधनियम में संशोधन तथा उसका समान रूप से करियान्वयन होना चाहयि।
- यह समय है कि हम सभी को जल प्रबंधन के बारे में अपनी रणनीति पर पुनरविचार करना चाहयि, न केवल राज्यों के भीतर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अगले 30 वर्षों में जल परदृश्य को ध्यान में रखते हुए आम सहमति के लिये संचार के चैनलों में सख्ती से सुधार करने की ज़रूरत है।
- तंत्र को इस तरह से सुधारना चाहयि कि केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों को राज्यों के हतियों की रक्षा के लिये प्रयाप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिले।

स्रोतः द हंडू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/krishna-water-dispute>

